

# कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली

क्रमांक- आदेश/रिमाण्ड/37

दिनांक 30.07.2024

## ---:: रिमाण्ड ड्यूटी बाबत कार्यालय-आदेश ::---

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-14 सपटित धारा-15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं निखिल सिंह, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली आदेश पारित करता हूँ कि माह अगस्त 2024 में पडने वाले अवकाश के दिनों में करौली जिला न्यायक्षेत्र के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात में रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकालिके कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य के लिए कॉलम संख्या-2 में अंकित पीठासीन अधिकारीगण को निम्नानुसार अधिकृत किया जाता है:-

### माह अगस्त 2024

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	ड्यूटी की दिनांक
01	02.	03.	04
1	श्रीमती गार्गी चौधरी RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम	04-8-2024
2	सुश्री लक्षिता सूत्रकार RJS	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली	9,10,11-8-2024
3	श्री इन्द्रप्रकाश सैन RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली	15-8-2024
4	श्रीमती नीलोफर तोमर RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट, नादौती	18, 19-8-2024
5	श्रीमती संयोगिता गहलोत RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौनसिटी	24, 25, 26-8-2024

### निर्देश:-

- अधिकृत किए गए पीठासीन अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।
- यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के अगले दिन राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व दिवस के लिए नियत किए गए थे।
- नियत किए दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।




मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
करौली

दिनांक:-30.7.2024

क्रमांक- 1027-1032

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, करौली ।
- श्रीमान पुलिस अधीक्षक करौली को वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
- संबंधित अधिकारी सर्व श्री .....
- सिस्टम अधिकारी करौली को इस निर्देश के साथ कि सभी अधिकारीगण की मेल आई डी पर आदेश भिजवावे एवं जिला न्यायालय करौली की वेबसाईट पर इस आदेश को अपलोड करें।
- प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, करौली।
- आदेश पत्रावली /नोटिस बोर्ड

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
करौली